भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2605
दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

सीमावर्ती गांवों का विकास

2605. श्री कनकमल कटाराः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपवर्ती गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष निधि आबंटित कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान सहित अन्य राज्यों को इस प्रयोजनार्थ आबंटित और व्यय की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): भारत सरकार, राजस्थान सहित 17 राज्यों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) कार्यान्वित कर रही है। बीएडीपी, सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के प्रावधान में गंभीर अंतरों को पाटने के लिए एक प्रमुख पहल है ताकि इन क्षेत्रों में न्यायसंगत विकास को सुनिश्चित किया जा सके। बीएडीपी के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य/परियोजनाएं सड़कों एवं पुलों के निर्माण, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, कृषि और संबद्ध गतिविधियों, सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियों जैसे कि सामाजिक अवसंरचना के सृजन, क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास, विशेष रूप से महिलाओं के लिए शौचालयों के निर्माण, खेल-गतिविधियां, ग्रामीण पर्यटन के प्रोन्नयन, सीमा पर्यटन आदि से संबंधित हैं। ये कार्यकलाप सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने

लो.स.अ.प्र.सं. 2605

तथा जीवन स्तर में सुधार करने में सहायता करते हैं। पिछले पांच वित्त वर्षों अर्थात वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आबंटित की गई निधियों (केंद्र का हिस्सा) तथा राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है। सीमावर्ती गांवों का मॉडल गांवों के रूप में विकास करने के लिए भी निधियां जारी की जा रही हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप स्थित पड़ोसी गांवों के क्लस्टर से घिरे अधिक जनसंख्या वाले एक गांव का विकास हो जाता है। विगत वर्षों 2016-17 और 2017-18 के दौरान 61 मॉडल गांवों (राजस्थान के 3 गांवों सहित) के विकास के लिए 126.02 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 09.07.2019 का लोक सभा अता. प्र. सं. 2605

पिछले पांच वित्त वर्षों अर्थात वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आबंटित की गई निधियों (केंद्र का हिस्सा) तथा राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		आबंटित	खर्च	आबंटित	खर्च	आबंटित	खर्च	आबंटित	खर्च	आबंटित	खर्च
1	अरुणाचल प्रदेश	92.49	92.49	89.96	89.15	108.97	107.37	154.14	84.20	80.87	5.26
2	असम	21.05	18.37	30.66	23.58	34.05	17.18	56.00	9.09	49.50	2.43
3	बिहार	31.30	31.30	60.65	60.65	46.00	33.58	46.00	15.16	32.20	0.00
4	गुजरात	45.05	45.05	33.08	33.08	38.00	38.00	31.72	27.76	56.23	13.59
5	हिमाचल प्रदेश	21.00	21.00	23.10	23.10	31.00	31.00	35.00	25.49	25.95	8.05
6	जम्मू और कश्मीर	115.20	115.20	130.11	130.02	190.39	178.76	198.89	156.51	84.00	59.78
7	मणिपुर	22.00	22.00	22.00	22.00	30.77	21.53	27.56	0.00	20.34	0.00
8	मेघालय	21.00	21.00	27.31	27.31	36.67	36.67	36.56	36.56	22.69	0.00
9	मिजोरम	35.34	35.34	38.62	38.62	46.00	46.00	46.00	45.01	32.20	0.00
10	नागालैंड	20.00	20.00	29.10	29.10	32.15	32.15	40.04	40.04	33.96	10.00
11	पंजाब	37.16	37.16	38.12	38.12	27.98	22.35	28.00	10.27	33.08	0.00
12	राजस्थान	101.40	101.40	158.39	155.63	123.72	112.32	116.00	89.56	81.20	0.00
13	सिक्किम	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	28.01	28.01	27.50	16.62
14	त्रिपुरा	37.98	37.88	50.57	46.38	70.89	44.57	65.07	6.98	49.70	0.00
15	उत्तर प्रदेश	49.82	49.82	48.59	48.59	38.00	29.23	38.00	35.57	26.60	0.00
16	उत्तराखंड	31.82	31.82	27.95	27.95	27.08	27.08	31.00	28.02	29.20	6.26
17	पश्चिम बंगाल	97.39	97.39	161.79	161.79	108.32	103.75	122.00	77.54	85.40	24.63
	कुल	800.00	797.22	990.00	975.08	1015.00	906.55	1100.00	715.77	770.62	146.63